प्रेषक,

संख्या–730 /उन्तीस(2)/18–2(22 पे0)/201

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 03 मई,2018

विषय :– नाबार्ड की RIDF-XXIII योजनान्तर्गत वित्त पोषित पेयजल योजनाओं हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–1284/01(10)/XXVII(1)/2016-17 दिनांक 07 दिसम्बर,2017 पत्र संख्या–88/ 01(10)/XXVII(1)/2018 दिनांक 17 जनवरी,2018 पत्र संख्या 283/01(10)/XXVII(1)/2018 दिनांक 20 फरवरी,2018, पत्र संख्या–420/01(10)/XXVII(1)/2018 दिनांक 16 मार्च,2018 एवं पत्र संख्या–192/01(10)/XXVII(1)/2018 दिनांक 26 मार्च,2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड की RIDF-XXIII योजनान्तर्गत वित्त पोषित 09 पेयजल योजनाओं हेतु संलग्न सूची में वर्णित योजनाओं के सम्मुख कालम–6 मे अंकित विवरणानुसार कुल रू0 1388899लाख(रू0 तेरह करोड़ अड़सठ लाख नवासी हजार नौ सौ मात्र) की धनराशि वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 में इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आगामी निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च,2019 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(iv) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं पर कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(v) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(vi) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों की कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(vii) शासनादेश संख्या–1376/उन्तीस(2)/17–2(22 पे0)/2017 दिनांक 25 सितम्बर,2017 के अनुरूप शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक– 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01– जलापूर्ति– 102–ग्रामीण जलपूर्ति –98–नाबार्ड वित्त पोषित –01–नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं हेतु अनुदान (4215–01–102–05से स्थानान्तरित)–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवटन संख्या–H1804131332 दिनांक 26 अप्रैल,2018 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु

हेतु शासनादेश संख्या– 519/3(150)/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल,2018 के द्वारा दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)/ X (1)/2018दिनांक 02 अप्रैल,2018 में निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0 संख्या– 730 (1)/उन्तीस(2)/18–2(22 30)/2017, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून।
4. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. सहायक महाप्रबन्धक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, होटल सनराईज बिल्डि 113/2, राजपुर रोड़, देहरादून।
6. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
8. बजट निदेशालय, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–/2, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
निर्मल कुमार
(निर्मल कुमार)
अनु सचिव।